

## संसद से सांसदों का नलिंबन

### प्रलिमिंस के लयि:

संसद से सांसदों का नलिंबन, लोकसभा, [राज्यसभा](#), संसद सदस्य, पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष

### मेन्स के लयि:

संसद से सांसदों का नलिंबन

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राज्यसभा](#) के एक सांसद (संसद सदस्य) को **आसन के नरिदेशों** का "उल्लंघन" करने के लयि नलिंबति कर दयि गयि है ।

मणपुरि मुददे पर राज्यसभा में वपिकष का वरिध जारि है । वे इस मामले पर प्रधानमंत्री की प्रतिकरयि की मांग कर रहे हैं और परणामस्वरूप इसमें शामिल सांसदों में से एक को नलिंबति कर दयि गयि ।

## सांसदों के नलिंबन की प्रक्रयि:

### ■ सामान्य सदिधांत:

- सामान्य सदिधांत यह है कवियवस्था बनाए रखना पीठासीन अधिकारी- [लोकसभा अध्यक्ष](#) और [राज्यसभा के सभापति](#) की भूमिका और करतव्य है ताकसदन सुचारु रूप से चल सके ।
- यह सुनश्चित करने के लयि कर्कार्यवाही उचित तरीके से संचालति हो, अध्यक्ष/सभापतिको कसिी सदस्य को सदन से बाहर जाने के लयि वविश करने का अधिकार है ।

### ■ प्रक्रयि और आचरण के नयिम:

लोकसभा	राज्यसभा
<b>नयिम 373:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रक्रयि एवं कार्य संचालन नयिमों की नयिम संख्या 373 के अनुसार, "अध्यक्ष कसिी सदस्य का <b>आचरण अमर्यादति</b> पाए जाने पर उसे <b>तुरंत सदन से हटने</b> का नरिदेश दे सकता है । जनि सदस्यों को हटने का आदेश दयि गयि है वे तुरंत ऐसा करेंगे और <b>शेष दनि की बैठक के दौरान अनुपस्थति रहेंगे</b> ।</li> <li>● गंभीर मामलों या अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों से नपिटने के लयि अध्यक्ष <b>नयिम 374 और 374A</b> का सहारा लेता है ।</li> </ul>	<b>नयिम 255:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● लोकसभा अध्यक्ष की तरह <a href="#">राज्यसभा के सभापति</a> को <b>नयिम संख्या 255 के तहत</b> "कसिी भी सदस्य का <b>आचरण अमर्यादति</b> पाए जाने पर तुरंत उसे सदन से बाहर जाने का नरिदेश देने" का अधिकार है ।</li> <li>● लोकसभा अध्यक्ष के वपिरीत राज्यसभा <b>सभापति के पास कसिी सदस्य को नलिंबति करने का अधिकार नहीं है</b> । इसलयि सदन कसिी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से नलिंबन समाप्त कर सकता है ।</li> <li>● अध्यक्ष "<b>उस सदस्य का नाम बता सकता है जो अध्यक्ष के अधिकारों की अवहेलना करता है</b> या नरितर और जान-बूझकर कार्य में बाधा डालकर सभा के नयिमों का दुरुपयोग करता है" ।</li> <li>● ऐसी स्थितिमें सदन, सदस्य को शेष सत्र से अधिकि की अवधि के लयि सदन की सेवा से नलिंबति करने का प्रस्ताव रख सकता है ।</li> </ul>
<b>Rule 374:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अध्यक्ष <b>यदि आवश्यक समझे</b> तो ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है, जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जान-बूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नयिमों का दुरुपयोग करता है ।</li> <li>● यदिकसिी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार नामति</li> </ul>	<b>Rule 256:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● इसमें सदस्यों के <b>नलिंबन</b> का प्रावधान है ।</li> <li>● <b>सभापति कसिी सदस्य को सत्र के शेष समय से अधिकि की अवधि के लयि सभा से नलिंबति कर सकता है</b> ।</li> </ul>

किया जाता है, तो **अध्यक्ष एक प्रस्ताव के माध्यम से तुरंत यह प्रश्न रखेगा** कि सदस्य (ऐसे सदस्य का नाम लेते हुए) को सत्र के शेष समय से अधिक की अवधि के लिये सदन की सेवा से नलिंबति कर दिया जाए।

#### नयिम 374A:

- नयिम 374A को **दिसंबर 2001 में नयिम पुस्तिका में शामिल** किया गया था।
- घोर उल्लंघन या गंभीर आरोपों के मामले में अध्यक्ष द्वारा नामित किये जाने पर **सदस्य लगातार पाँच बैठकों या सत्र की शेष अवधि के लिये स्वतः नलिंबति हो जाएगा।**

#### ■ नलिंबन की शर्तें:

- नलिंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिये होती है।
- नलिंबति सदस्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या **समितियों की बैठकों में शामिल नहीं** हो सकते हैं।
- वह चर्चा अथवा किसी प्रकार के नोटिस देने हेतु पात्र नहीं होगा।
- वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का अधिकार खो देता है।

### न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप:

- संवधान का **अनुच्छेद 122** कहता है कि संसदीय कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- हालाँकि न्यायालयों ने वधायिका के प्रक्रियात्मक कामकाज में हस्तक्षेप किया है, जैसे-
  - महाराष्ट्र वधिनसभा ने अपने 2021 के मानसून सत्र में 12 भाजपा वधायकों को एक साल के लिये नलिंबति करने का प्रस्ताव पारित किया।
  - यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया, जसिने माना कि मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी प्रस्ताव कानून में अप्रभावी था।

### आगे की राह

- प्रचार या राजनीतिक कारणों से **नियोजित संसदीय अपराधों और जान-बूझकर गड़बड़ी से नपिटना** मुश्किल है।
- इसलिये वपिक्षी सदस्यों को संसद में रचनात्मक भूमिका नभिानी चाहिये और उन्हें अपने वधिर रखने तथा सम्मानजनक तरीके से खुद को व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- जान-बूझकर **व्यवधान और महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बीच संतुलन बनाने** की ज़रूरत है।

### स्रोत: हदिसतान टाइम्स